फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :-02-10-2024

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्दनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अरविन्द पुत्र छोटेलाल निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अरविन्द पुत्र छोटेलाल निवासी कुण्डपुरा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरणः-अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त द्वारा अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविन्द उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 202/2024 धारा 3/25 आर्म्स. एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2- मु0अ0सं0 293/2010 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।
3- मु0अ0सं0 364/2010 धारा 110 (जी) सीआरपीसी।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 शिव कुमार
2. का0 अकिंत कुमार
3. का0 दीपेश छौंकर

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दुर्गा पूजा/विसर्जन व रावण दहन के दौरान आमजनमानस से अपील

- दुर्गा पूजा की प्रतिमाओ की स्थापना किसी पार्क अथवा मैदान में ही की जाये ताकि यातायात प्रभावित न हो तथा आवागमन के रास्तो पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाये।
- पूजा पंडाल के आस-पास सीसीटीवी लगें हो और आग से बचाव हेतु जैसे रेत, पानी, मिट्टी आदी का प्रबंध होना चाहिए तथा पण्डाल इत्यादि के मार्गो पर बिजली के तार लटके न हो ।
- पंडाल से 50 मीटर तक ठेला और खोमचा न लगे हो।(खास कर गैस का प्रयोग करने वाले)
- पूजा पंडाल में फूहड़ गीत व नृत्य का आयोजन न हो। आवाज अनुमन्य आवाज से अधिक न हो एवं रात्रि 10 बजे के बाद डीजे आदी का संचालन पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा।
- प्रतिमा विसर्जन झांकी को पहले से निर्धारित रूट से ही ले जाया जाये।
- प्रतिमा विसर्जन निर्धारित स्थान पर करें तथा स्नान करते समय अधिक गहरे पानी में न जाये, निर्धारित बैरिकेडिंग के अन्दर ही स्नान करे।
- रावण दहन के दौरान पुतले के पास न जाएं तथा पुतले से उचित दूरी बनाये रखें।
- प्रतिमा विसर्जन/रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किसी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचे। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आलोक प्रियदर्शी
पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़।

क्वार्टर गार्द